न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री अंश दीप, आई.ए.एस.

राजस्व अपील : 07/2020
जी.सी.एम.एस. : 2020/00028

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट :–**
प्रकाश पुत्र मंशाराम, जाति घांची, निवासी सुमेरपुर, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली		भूमिधारी तहसीलदार, सुमेरपुर, जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष राजपुरोहित
रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकार पैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांकः– 18/1/21

अपील अपीलाण्ट अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 तहसीहदार सुमेरपुर के राजस्व प्रकरण संख्या 20/2019 बअनवान सरकार बनाम प्रकाश में पारित आदेश दिनांक 07.01.2020 के विरूद्ध पेश की गई है अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 233 ग्राम जाखोडा प.ह. कोलीवाडा में स्थित है तथा उसके अन्दर से नेशनल हाईवे 14 निकला हुआ है इस नेशनल हाईवे के कारण ही अपीलाण्ट की उक्त खातेदारी भूमि दो भागों में विभक्त हो गई है। कुछ भाग नेशनल हाईवे के एक तरफ तथा कुछ भाग दुसरी तरफ है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 233 के पास ही खसरा नम्बर 234 गैर मुमकिन रास्ते की भूमि स्थित है। उक्त रास्ते की भूमि रकबा 0.03 हैक्टेयर पर अपीलार्थी द्वारा धोरा पाली कर अवैध अतिक्रमण करना बताया है जबकि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नही है न ही उसके द्वारा धोरा पाली लगाए हुए है। जैर निगरानी प्रकरण रास्ते की भूमि के दुसरी तरफ के पड़ोसी श्रीमति रतनकंवर वगैरा है जैसा कि भू.अ.नि. द्वारा की मौका रिपोर्ट में अंकित है उन्ही की शिकायत पर यह प्रकरण दर्ज हुआ है। उन्होने अपीलार्थी से रास्ते के पास स्थित उसकी खातेदारी भूमि को क्रय करने की मंशा अपीलार्थी को बताई जिससे उसकी रास्ते के पास वाली भूमि नेशनल हाईवे के लगती हुई हो जायेगी एवं रास्ता की भुमि भी उसे मिल जायेगी। अपीलार्थी द्वारा उसकी खातेदारी भूमि को विक्रय करने से इन्कार करने पर वे नाराज हो गई एंव राजस्व कार्मिकों से मिलकर अपीलार्थी को हैरान परेशान करने की नियत से यह प्रकरण झुठा बनाया है जिससे अपीलार्थी तंग आकर अपनी भुमि का बेचाण रतनकंवर वगैरा को कर दे अपीलाण्ट व्यवसाय हेतु पूना रहता है इसी वजह से नोटिस पूर्व में मातहत अदा[illegible] जारी किए वह अदम तामील व चस्पा किए जाने की रिपोर्ट के साथ [illegible] की खातेदारी भूमि पर भी विगत सन् 2016 से कृषि नही की गई है व [illegible] है ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट द्वारा ग्राम जाखोडा के खसरा नम्बर 234 की भूमि गैर मु[illegible]न रास्ते पर अतिक्रमण [illegible] का तो प्रश्न ही नही है इस बाबत इस न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया था कमिश्नर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा उनके प्रतिनिधि के रूप में भेजे गये प.ह. कोलीवाडा के भी हस्ताक्षर है कमिश्नर की मौका रिपोर्ट दिनांक 15.12.2020 के अनुसार भी अपीलार्थी द्वारा उसकी खातेदारी भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:44:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली

में नही लिया जा रहा है मौके पर अग्रेंजी बबूल उगे है। रास्ता वर्तमान में खुला है एवं उपयोग में लिया जा रहा है। रास्ता नही रोका गया है तथा ग्राम जाखोडा के खसरा नम्बर 234 गै0मु0 रास्तो पर वर्तमान में अतिक्रमण नही है वकील अपीलाण्ट द्वारा यह भी कथन किया गया कि मातहत अदालत द्वारा पूर्व में प्रकरण सख्या 45/2016 दर्ज कर प्रार्थी को बेदखल करने के आदेश दिनांक 07.09.2016 के दिये गये थे तथा जरिये जेसीबी के प.ह. कोलीवाडा व बलवना द्वारा रूबरू मौतबिरान कब्जा हटा दिया गया था उसके पश्चात किसी प्रकार का अतिक्रमण नही है। मातहत अदालत की प्रकरण संख्या 45/2016 में पश्चातवृति होना मात्र प.ह. द्वारा अंकित किया गया है। भौतिक रूप से बेदखल किया गया है इस आशय की रिपोर्ट नही है। यह प्रकरण पूर्व में भी राजस्व अपील अधिकारी महोदय द्वारा रिमाण्ड किया गया था प्रार्थी पूर्व में ही खर्चे से जैर बार हो चुका है तथा पश्चातवृति अतिक्रमी सिद्ध नही होने से जैर अपील आदेश निरस्त फरवाया जावें।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम जाखोडा प.ह. कोलीवाडा द्वारा वर्ष 2073 में अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसमें पश्चातवृति अतिक्रमी होना दर्ज किया गया है उसी के आधार पर खसरा नम्बर 234 ग्राम जाखोडा की भूमि पर धोरापाली कराकर अतिक्रमण किया जाने पर तथा प.ह. द्वारा रिपोर्ट पेश करने पर मातहत अदालत द्वारा बेदखली की समस्त कार्यवाही की गई थी तथा अतिक्रमी का धोरापाली जेसीबी से हटाकर दिनांक 7.9.2016 को रास्ता खुलवाया गया था। इससे प्रार्थी स्वयं भी सहमत है ऐसी स्थिति में जैर अपील आराजी के सबंध में मातहत अदालत द्वारा जो कार्यवाही की गई वह यथावत रखावें पूर्व में भी इस न्यायालय द्वारा इसी प्रकरण में मातहत अदालत के आदेश को यथावत रखा गया था तथा राजस्व अपील अधिकारी ने अपील की जाने पर उनके निर्णय दिनांक 28.03.2019 के द्वारा रिमाण्ड की गई थी उसी के क्रम में यह आदेश पारित किया गया है जिसे यथावत रखा जाने के आदेश फरमावें।

बहस उभय पक्ष सुनी गई मातहत अदालत एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रकरण मातहत द्वारा प्रकरण संख्या 45/2016 सन् 2016 में दर्ज कर अतिक्रमी के विरूद्ध लगान का 50 गुना जुर्माना राशि आरोपित करते हुए तीन माह के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित किया गया था। उससे पूर्व अपीलाण्ट को अतिक्रमित आराजी से भौतिक रूप से बेदखल किया गया था इस आशय की रिपोर्ट पत्रावली सलंग्न नही है मात्र प.ह. द्वारा टी.पी. रिपोर्ट में ही पश्चातवृति अतिक्रमी होना अंकित किया है। जिसकी पालना में ही प.ह. जाखोड़ा एंव प.ह. बलवना व भू.अ.नि. सुमेरपुर द्वारा अप्रार्थी के अतिक्रमण न.प. सुमेरपुर से जेसीबी प्राप्त कर हटाया गया था उक्त आदेश की अपील अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में की गई जिसके अपील क्रमांक 41/2017 दर्ज हुई तथा निर्णय दिनांक 15.03.2017 के द्वारा मातहत अदालत के निर्णय को यथावत रखा गया। जिसकी द्वितीय अपील अपीलार्थो द्वारा श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी पाली के समक्ष की गई जिसके अपील [illegible] निर्णय दिनांक 28.03.2019 के द्वारा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार सुमेर[illegible] को [illegible]ाण्ड किया गया तथा तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा द्वारा प्रकरण संख्या 20/2020 [illegible] आदेश दिनांक 7.1.2020 को पारित करते हुए पूर्व निर्णय [illegible] के साथ जुर्माना आरोपित करते हुए 3 माह के सिविल कारावास की सजा सुनाई ग[illegible] जिसकी यह अपील अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा पेश की गई अपील अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट को साक्ष्य सबुत पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये है एवं प.ह. द्वारा अतिक्रमण करने बाबत प्रस्तुत रिपोर्ट में भी अतिक्रमण पाया गया है। तथा अतिक्रमण हटाये जाने की उचित प्रक्रिया अपना कर बाद सुनवाई एवं साक्ष्य हेतु समुचित अवसर प्रदान करते हुए अतिक्रमण हटाने के आदेश दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:44:59 IST
Reason: SelfAttested

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

07.09.2016 को पारित किए गए थे एवं अतिक्रमण हटाया भी गया था। इस न्यायालय द्वारा जरिये आदेश क्रमांक 566 दिनांक 17.06.2020 की पालना में नियुक्त कमीश्नर की मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ते की भूमि ग्राम जाखोडा के खसरा नम्बर 144 गै0मु0 रास्ता पर वर्तमान में अतिक्रमण नही है, वर्तमान फोटो ग्राफ भी पेश किए गये है। अपीलार्थी की भूमि पर भी काफी समय से खेती नही की जा रही है तथा रास्ते की भूमि को उपयोग में लिया जा रहा है रास्ता खुला पड़ा है। परन्तु आदेश का अवलोकन करने पर पाया गया कि पश्चातवृति अतिक्रमण होने के कारण सिविल कारावास की सजा दी गई है जबकि पूर्व में बेदखली का निर्णय दिया गया था एंव कब भौतिक रूप से बेदखल किया गया था यह स्पष्ट नही है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलार्थी को विरूद्ध मातहत नायब तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्रकरण संख्या 20/2019 बअनवान सरकार बनाम प्रकाश निर्णय दिनांक 07.01.2020 को पारित सिविल कारावास की सजा के आदेश को अपास्त किया जाता है तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से भौतिक रूप से बेदखल करने एवं आरोपित जुर्माना आदेश को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18/1/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:44:59 IST
Reason: SelfAttested